न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 150/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/384

अनवान

1. भैरूनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लक्ष्मणनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. भैरूनाथ पिता नोलनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकररावल पिता जेसिंग रावल निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीचारभुजानाथ स्थान देह पुजारी कब्जेदार सुवानाथ पिता नोलनाथ जोगी निवासी सज्जनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेश दाधीच – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1, 2 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:– 8/1/2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की ग्राम सज्जनपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी संख्या 21 रकबा 0.58 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 पेश की है। उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से से व प्रार्थी संख्या 3 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है।
2. प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 में अंकित आराजी संख्या 21 रकबा 0.58 है0 के साबिक नम्बर 12 रकवा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके लिए मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। हाल आराजी संख्या 21 के पूर्व दिशा में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 20 रकवा 0.72 है0 भूमि स्थित है जिसके मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। आराजी संख्या 21 के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 22 रकबा 0.35 है0 स्थित है जिसके साबिक नम्बर 14 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा है जो विपक्षी संख्या 2 श्री चारभुजानाथ स्थान देह के नाम अभिलिखित है। जिसके मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक जमाबन्दी पेश की है। आराजी संख्या 21 के उत्तर दिशा में आराजी संख्या 28 रकबा 2.33 है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

स्थित है जिसके साबिक नम्बर 16मीन रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा है जो बिलानाम सरकार दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल एव साविक जमावन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।

3. प्रार्थीगण की आराजी संख्या 21 जिसके नम्बर 15 जो विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 22, 27, 28 व प्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 20 के मध्य स्थित है जिसका नक्शा दौराने बन्दोबस्त भू-प्रवन्ध अधिकारियो से साविक के मुकावले छोटा वना दिया है व वर्तमान आराजी संख्या 21 का नक्शा छोटा होने से 0.10 है0 भूमि वर्तमान नक्शे में कम हो रही है जबकि साविक रेकार्ड अनुसार वर्तमान आराजी संख्या 21 का रकवा 0.58 है0 होना चाहिए। छोटा नक्शा होने से प्रार्थीगणों के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

4. अतः सादर प्रार्थना है कि न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी संख्या 21 के साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दुरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे व तदनुसार नवीन संशोधन कराया जावे।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नही होने से दिनांक 31.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि:-

   1. ग्राम सज्जनपुरा की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 4 आराजी संख्या 21 रकबा 0.58 है0 भैरूनाथ, लक्ष्मणनाथ पिता हजारीनाथ 1/2 जोगी भैरूनाथ पिता नोलनाथ 1/2 नाथ सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड था।
   2. मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी संख्या 21 रकबा 0.58 है0 के साबिक नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थे उक्त कथन स्वीकार है।
   3. मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी संख्या 20 रकबा 0.72 है0 के साबिक नम्बर 11मीन उक्त कथन स्वीकार है।
   4. मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी संख्या 27 रकबा 2.16 है0 के साबिक नम्बर 16/4क रकबा 10 बीघा है शेष कथन प्रार्थी स्वंय सिद्व करे।
   5. ग्राम सज्जनपुरा के आराजी संख्या 22 रकबा 0.35 है0 श्रीचारभुजनाथजी स्थान गढबोर के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा है उक्त कथन अस्वीकार है।
   6. आराजी संख्या 28 रकवा 2.33 है0 के साबिक नम्बर 16मीन रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा है शेष कथन अस्वीकार है।
   7. विन्दु संख्या 7, 8, 9 प्रार्थी स्वयं सिद्व करें एवं विन्दु संख्या 10, 11, 12 न्यायालय से सम्वधित है।
   8. नक्शा दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 में श्रवण योग्य नही है।

7. प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 21 रकवा 0.58 है0 के साबिक आराजी संख्या 15 रकबा 2 बीघा 14

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(एस.डी.ओ.) रायपुर

बिस्वा थे। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा निहित है। साबिक आराजी संख्या 15 के पूर्व दिशा में आराजी संख्या 20 रकबा 0.72 है0 जिसके साबिक नम्बर 11मीन है, पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 27 रकबा 2.16 है0 जिसके साबिक नम्बर 16/4 रकबा 10 बीघा थे। आराजी संख्या 21 के नक्शे को छोटा कर दिया जिससे 0.10 है0 भूमि कम हो रही है। रकबे से नक्शा छोटा है। किस आराजी में रकबा गया यह पता नही है।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित जवाब का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में संलग्न साबिक नक्शे में कही भी आराजियात का स्पष्ट अंकन नही किया गया है एवं न ही किसी प्रकार से मार्क किया गया हो जिससे यह आराजियात स्पष्ट हो पा रही हो। साबिक एवं हाल नक्शे में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी अंकन नही किया गया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि नक्शा दुरस्ती धारा 136 में श्रवण योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सलंग्न दस्तावेज स्पष्ट नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित नही हो पाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् भलीभांति साबित नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा